संख्याः 1416/VII-II-11/193–उद्योग/2006

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 16 जून, 2011

विषयः **वित्तीय वर्ष 2011–12 में लघु उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु ब्याज उपादान योजनान्तर्गत धनराशि स्वीकृत के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 तथा आपके पत्रांकः860/उ0नि0(दो)–13/बजट–मॉग/2011–12 दिनांक 25 मई, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **लघु उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु ब्याज उपादान योजनान्तर्गत**, प्राविधानित धनराशि **₹ 300.00 लाख (₹ तीन करोड़ मात्र)** की धनराशि व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जा रही है कि स्वीकृत धनराशि जनपदों को उनकी मांग के अनुरूप नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी। व्यय में मितव्ययंता नितांत आवश्यक है तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने पर बजट मैनुअल तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लघंन होता हो, व्यय मात्र उन्हीं मदों पर किया जाय, जिसके लिये यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांकः 31.03.2012 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत योजना की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय के पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांकः 31.03.2012 तक शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

4– वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा, और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल की अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा, और प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा, और नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के आधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

5– स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2011 में इंगित शर्तो के अधीन किया जायेगा।

6– स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस मद में पूर्व में स्वीकृत समस्त धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है, तथा लाभार्थियों द्वारा योजना प्रारम्भ कर दी गयी है।

7– स्वीकृत धनराशि के व्यय के अनुरूप लाभार्थियों द्वारा संचालित योजनाओं का विस्तृत विवरण एवं लाभार्थियों की सूची माहवार शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी, तथा लाभार्थियों से प्राप्त धनराशि का विवरण भी त्रैमास पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

8– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखाशीषर्क–2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनागत, 102–लघु उद्योग–17– लघु उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु ब्याज उपादान–00–, 50–सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

9– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्याः175/XXVII(2)/2011 दिनांकः03 जून, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1416(1)/VII-II-11/193–उद्योग/2006 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव, वित्त (बजट), उत्तराखण्ड शासन।
6. अपर सचिव नियोजन उत्तराखण्ड शासन ।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2
9. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अनु सचिव।